दिल्ली विकास प्राधिकरण

(वित्त एवं व्यय)

वित्त एवं व्यय परिवत्र सं. 11/2017

विषय: वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) को लागू करना ।

वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) को दिनांक 01.07.2017 से देश में लागू किया गया, जिसने पूरे देश को एक कर व्यवस्था के अंतर्गत ला दिया । जी.एस.टी. को दिनांक 01.07.2017 से दि.वि.प्रा. में भी लागू किया गया है । जी.एस.टी. को लागू करने के संबंध में मुख्य लेखा अधिकारी, दि.वि.प्रा. अध्यक्षता में सम्मेलन कक्ष, विकास सदन में दिनांक 13.07.2017 को आयोजित बैठक में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों और अभियान्त्रिकी अधिकारियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों और वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के आधार पर कर परामर्शदाता, मैसर्स एस.के. मेहता एंड कम्पनी के दिनांक 17.07.2017 के अपने पत्र के द्वारा निम्नलिखित मुद्दों पर दिशा-निर्देश दिए हैं

1. 30 जून, 2017 के बाद ठेकेदारों को भुगतान ।
2. जी.एस.टी. के अन्तर्गत रिवर्स चार्ज प्रणाली (आर.सी.एम.) ।
3. निर्माण ठेकेदारों को जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति ।
4. सेवा प्रदाताओं को जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति ।
5. सरकारी खाते में जी.एस.टी. जमा करना और जी.एस.टी. मासिक रिटर्न भरना ।

कर परामर्शदाताओं द्वारा दी गई सलाह के आधार पर सभी संबंधित पक्षों के अनुपालन हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देशों को परिचालित किया जा रहा है ।

1. <u>30 जून 2017 के बाद ठेकेदारों को भुगतान:</u>

(i) ठेकेदारों से अपेक्षित है कि वे 21 जुलाई, 2017 तक जून माह, 2017 हेतु अपनी बिक्री पर डी वैट जमा करें । इसके पश्चात्, ठेकेदारों को किया गया कोई भी भुगतान जी.एस.टी. के प्रावधानों के अन्तर्गत होगा जिसमें वर्तमान में कोई भी कटौती अपेक्षित नहीं है ।

(ii) डी वैट और/ अथवा यथा लागू जी.एस.टी. कानूनों के अन्तर्गत ठेकेदारों को उनके अनुपालनार्थ इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए ।

(iii) सभी आहरण संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को निदेश दिया जाता है कि डब्ल्यू.सी.टी. के प्रावधानों के अन्तर्गत 15.07.2017 तक भुगतान किए गए बिलों के लिए पृथक रिकॉर्ड तैयार करें और डब्ल्यू.सी.टी. को जमा करने के पश्चात उसे डब्ल्यू.सी.टी. के पोर्टल में फीड करें और 30 जून, 2017 को समाप्त तिमाही के लिए डब्ल्यू.सी.टी. के रिटर्न को समय पर भरने के लिए इसका विवरण कर परामर्शदाता, दि.वि.प्रा. (जैसा विगत में प्रस्तुत किया जा रहा था) को तत्काल प्रस्तुत करें ।

(iv) सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि जुलाई माह, 2017 के लिए मासिक भुगतानों के समाशोधन हेतु जुलाई माह, 2017 का जी.एस.टी. (जहाँ डब्ल्यू.सी.टी. लागू नहीं है) के अन्तर्गत भुगतानों का विवरण 5 अगस्त तक प्रस्तुत करें।

2. **<u>जी.एस.टी. के अंतर्गत रिवर्स चार्ज प्रणाली (आर.सी.एम.)</u> :**

(i) पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति के साथ सभी ठेकेदारों/ विक्रेताओं की जी.एस.टी. संख्या प्राप्त की जाए ताकि उनका पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि यदि दि.वि.प्रा. किसी जी.एस.टी.- अपंजीकृत ठेकेदार/ विक्रेता/ सेवा प्रदाता से वस्तु और/ अथवा सेवा लेता है तो रिवर्स चार्ज प्रणाली (आर.सी.एम.) लागू होगी और उस मामले में दि.वि.प्रा. को सेल्फ-इन्वाइस द्वारा जी.एस.टी. जमा करना होगा । इसलिए, <u>सेल्फ-इन्वाइस की लॉजिस्टिक लागत</u> से बचने के लिए और मासिक रिटर्न हेतु विस्तृत पृथक रिकॉर्ड के रखरखाव हेतु दि.वि.प्रा. जी.एस.टी. पंजीकृत ठेकेदारों/ विक्रेताओं/ सेवा प्रदाताओं से कार्य ले सके ।

(ii) जहाँ तक, दिन-प्रतिदिन होने वाले खुदरा व्यय/ इम्प्रेस्ट (अग्रदाय) लेखा अर्थात, स्टेशनरी की खरीद कर्मचारी कल्याण व्यय, मरम्मत एवं रख-रखाव, ऐसी टैक्सी आदि को किराए पर लेना, का संबंध है, तो ऐसे खुदरा व्यय पर भी रिवर्स चार्ज लागू होगा । इसलिए, खुदरा व्यय भी जी.एस.टी. पंजीकृत विक्रेताओं/ सेवा प्रदाताओं से होना चाहिए ।

(iii) यह सुनिश्चित किया जाए कि यदि जी.एस.टी. अधिवक्ताओं/ सूचीबद्ध वकीलों के भुगतान इन्वाइस में प्रभारित नहीं गया है तो दि.वि.प्रा. द्वारा रिवर्स चार्ज के अन्तर्गत जी.एस.टी. का भुगतान किया जाएगा ।

(iv) जी.एस.टी से मुक्त कुछ सेवाएँ हैं :-
मीटर वाली कैब, नॉन-एसी कैब, आटो रिक्शा (ई-रिक्शा सहित), मैट्रो रेल सर्विस, सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, टॉल चार्ज, आवास हेतु किराया ।
(अधिसूचना के लिए कृपया वेबसाइट www.cbec.gov.in देखें)

(v) सभी संबंधित अधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे वस्तुओं एवं सेवाओं का दर वार वितरण तैयार करके रिवर्स चार्ज प्रणाली की अनुपालना करें और जुलाई माह, 2017 के दौरान वहन किए गए व्यय पर जी.एस.टी. जमा करें और कर परामर्शदाताओं को जी.एस.टी. रिटर्न दायर करने के लिए 5 अगस्त, 2017 तक चालान की प्रति सहित दिए फार्मेट में माह के दौरान वहन किए गए व्यय का विवरण प्रदान करें । चूंकि ऐसे शुल्क रिकरिंग (आवर्ती) प्रकार के होते हैं अत: दि.वि.प्रा. के खाते से आहरित किए जाने वाले रिवर्स चार्ज हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है ।

3. **<u>निर्माण ठेकेदारों को जी.एस.टी. के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति</u> :-**

(i) जी.एस.टी. के लागू होने से पूर्व अवार्ड किए गए और चल रहे निर्माण ठेकों (सामग्री ठेकों सहित) के लिए, जिनमें संविदात्मक दरों में वैट शामिल था, और सेवा कर की प्रतिपूर्ति की जाती थी, उनमें ठेकेदारों के जी.एस.टी. का भुगतान, ठेके की शर्तों के अनुसार, बाद के उप-पैरा (ii) एवं (iii) की शर्तों के अधीन होंगे ।

(ii) सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत सेवा कर के उपशमन दर के कारण निर्माण ठेकों पर सेवा कर की दर 4.94% थी । तथापि, निर्माण ठेकेदार, उनके द्वारा उपयोग में लाई गई सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवा कर के सैनवैट क्रेडिट का दावा करने के पात्र नहीं थे ।

(iii) जी.एस.टी. प्रावधानो के अन्तर्गत, निर्माण ठेकेदार 18% कर का भुगतान करने के उत्तरदायी हैं । तथापि, वे वस्तुओं एवं सेवाओं के इनपुट क्रेडिट का दावा करने के पात्र होंगे और वे वैट और श्रम उपकर का भुगतान नहीं करेंगे । तथापि, प्रबंधन द्वारा जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति का निर्णय, जी.एस.टी. व्यवस्था से पूर्व अवार्ड किए चालू ठेकों की शर्तों की सावधानीपूर्वक समीक्षा के पश्चात् और ठेकों के खण्ड 38 को ध्यान में रखते हुए लिया जाए । जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति जी.एस.टी. व्यवस्था से पूर्व अप्रत्यक्ष करों की लागत के आकलन (ठेकेदारों से प्राप्त) के सत्यापन के पश्चात और जी.एस.टी. व्यवस्था के बाद प्रत्येक मामले के आधार पर की जाएगी

जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् मुख्य अभियंता (मुख्यालय) द्वारा पृथक रुप से विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे ।

4. **<u>सेवा प्रदाताओं को जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति</u>** :-

विशुद्ध सेवा ठेकों अर्थात् परामर्शदाताओं, किराया, जन शक्ति की आपूर्ति (उपर्युक्त पैरा-3 में उल्लिखित निर्माण ठेका के अतिरिक्त) आदि के मामलों में, जहाँ 30 जून, 2017 तक सेवा कर 15% की दर पर प्रतिपूर्ति योग्य था उसे 01.07.2017 से 18% की दर से जी.एस.टी. से प्रतिस्थापित किया गया है ।

5. **<u>सरकारी खाते में जी.एस.टी. को जमा करना और जी.एस.टी. मासिक रिटर्न भरना</u> :-**

(i) सभी संबंधित अधिकारियों/ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे आगामी माह की 5 तारीख तक सेवाओं और वस्तुओं की बिक्री पर जी.एस.टी. का ऑनलाइन भुगतान करें और भुगतान किए गए जी.एस.टी. के चालान की प्रति सहित बिक्री, सेवाओं और खरीद (एक्सेल में विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में जिसे जल्दी ही परिचालित किया जाएगा) के विवरण को भी अगले माह की 5 तारीख तक कर परामर्शदाताओं को उपलब्ध कराएं ताकि वे नियत तिथि अर्थात् अगले माह की 10 तारीख से पूर्व जी.एस.टी. मासिक रिटर्न दायर कर सकें । यदि बिक्री अथवा सेवाएं जी.एस.टी. पंजीकृत डीलर्स के साथ है तो बिल्डिंग बी से बी को होगी और उस मामले में, पृथक विवरण अपेक्षित है और जैसा कि मैसर्स एस.के. मेहता एण्ड कम्पनी, कर परामर्शदाता ने अपने परिपत्र दिनांक 30.06.2017 के द्वारा स्पष्ट किया है कि इन्वाइस पर जी.एस.टी. नम्बर का उल्लेख करना अपेक्षित है ।

(ii) जी.एस.टी. जमा करने और रिटर्न दायर करने मे देरी होने पर सिस्टम द्वारा आटोमेटिक रुप से जुर्माना और ब्याज लगाया जाएगा । चूंकि, दि.वि.प्रा. के पास एक जी.एस.टी. पंजीकरण संख्या है और एक समेकित रिटर्न दायर किया जाता है, अत: सभी संबंधित अधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे भुगतान किए गए जी.एस.टी. चालान सहित दिए गए फार्मेट में सम्पूर्ण विवरण आगामी माह की 5 तारीख तक कर परामर्शदाताओं को उपलब्ध कराएं ताकि वे प्रत्येक माह की 10 तारीख तक मासिक रिटर्न दायर कर सके । दि.वि.प्रा. पर लगाए गए जुर्माने को संबंधित आहरण एवं संवितरण (डीडीओ) से काटा जाएगा ।

(iii) चूंकि, मासिक रिटर्न को संशोधित करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए सभी संबंधित अधिकारियों/ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को निदेश दिया जाता है कि वे बिक्री, सेवा एवं खरीद के आंकड़ों और जी.एस.टी. की गणना आदि में विशुद्धता सुनिश्चित करें ।

ये आदेश उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के अनुमोदन से जारी किए जाते है ।

(संतोष कुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी

सं. ईएफ.5(17)2017/डीडीए/335 दिनांक: 20.07.2017

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. उपाध्यक्ष/ वित्त सदस्य/ अभियंता सदस्य के निजी सचिव को उनके सूचनार्थ ।
2. सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/ मुख्य अभियंता (मुख्यालय) ।
3. आयुक्त एवं सचिव/ आयुक्त (खेल) ।
4. मुख्य विधि सलाहकार ।
5. वित्त सलाहकार (आवास)/ निदेशक, भूमि लागत/ वर्क्स/ लेखा परीक्षा/ नजारत/ वित्त ।
6. जी.एस.टी. सुविधा केन्द्र के सभी सदस्य ।
7. सभी उप मुख्य लेखा अधिकारी/ उप वित्त सलाहकार (आवास)-I एवं II ।
8. सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी/ वरिष्ठ लेखा अधिकारी, केन्द्रीय लेखा अधिकारी (खेल)/ वेतन एवं लेखा कार्यालय ।
9. गार्ड फाइल ।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वित्त एवं व्यय)